संख्या- 20 /2022/489/58-2022

प्रेषक,

आनन्द कुमार राय,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

उद्यान अनुभाग **लखनऊः दिनांकः 29 मार्च 2022**

विषयः वित्तीय वर्ष 2021-22 में अनुदान सं0-10 के अन्तर्गत विभिन्न योजनाओं में पुनर्विनियोग के माध्यम से अतिरिक्त धनराशि कुल रू0-101.61 लाख की स्वीकृति के संबंध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं0-168/बजट/2021-22, दिनांक 23-03-2022 की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021, दिनांक 22-3-2021 में निहित निर्देशों को दृष्टिगत रखते हुए वित्तीय वर्ष 2021-22 में अनुदान सं0-10 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2401-001-05-जिला एवं मण्डलीय कार्यालय-की मानक मद-01 वेतन में सम्भावित बचतों के सापेक्ष संलग्न बी0एम0-9 में वर्णित योजनाओं की विभिन्न मानक मदों में कुल धनराशि रू0-101.61 लाख पुनर्विनियोग की स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते हैं :-

1. बचत की धनराशि एवं व्यय की जाने वाली धनराशि का औचित्य प्रशा0 विभाग द्वारा सुनिश्चित किया।
2. जिस मद से पुनर्विनियोग किया जा रहा है उसमें अतिरिक्त धनराशि की मांग नहीं की जायेगी।
3. जिस प्रयोजन हेतु धनराशि की मांग की जा रही है उसी मद में ही आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी।
4. जिस मद में पुनर्विनियोग किया जा रहा है उसका सदुपयोग इसी वित्तीय वर्ष में कर लिया जायेगा।
5. स्वीकृत की जा रही धनराशि के व्यय किये जाने से पूर्व वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक-22.03.2021 द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2021-22 में अनुदान सं0-10 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2401-001-05-जिला एवं मण्डलीय कार्यालय-की मानक मद-01 वेतन में सम्भावित बचतों के सापेक्ष संलग्न बी0एम0-9 में वर्णित योजनाओं की विभिन्न मानक मदों के नामे डाला जायेगा।

http://snsanadesh.up.gov.in

3- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 22 मार्च, 2021 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक-बी0एम0-9

भवदीय,

(आनन्द कुमार राय)
उप सचिव

संख्याः 20/2022/489(1)/58-2022 तद्दिनांक :

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
(1) निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
(2) वित्त नियंत्रक, निदेशालय, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
(3) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
(4) निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय , जवाहर भवन, लखनऊ।
(5) वित्त (आय-व्यय) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।
(6) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।
(7) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(आनन्द कुमार राय)
उप सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in